आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023/160

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 67/2023 (शिवकुमार वगैरह बनाम रतनचन्द वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 24.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.07.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम शिवदयालपुरा तहसील बिसाऊ की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 के वर्तमान खसरा नम्बर 179/109, खसरा नम्बर 180/109, खसरा नम्बर 190/178, खसरा नम्बर 191/178, खसरा नम्बर 192/178 कुल किता 5 कुल रकबा 11.27 हैक्टर भूमि में वादीगण को नारायणराम के वारिसान की हैसियत से उनके 1/2 हिस्सा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि बैंक से रहनमुक्त होने अथवा बैंक से अनापत्ति प्राप्त करने पर ही यह निर्णय प्रभावी होगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 24.07.2024 को जारी की गई।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 67/2023 (GCMS NO. 2023/150)

1. शिवकुमार पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
2. महेन्द्र पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
3. सुरेन्द्र पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

— वादीगण —

1. रतनचन्द पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
2. चिमनाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
3. करणी सिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
4. नेमीचंद पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
5. रूकमणी देवी पत्नी भागरीथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
6. सुनिल कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
7. मंजू पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
8. अंजू पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
9. संजू पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
10. अनिता पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबंधक
12. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाबासर जरिये शाखा प्रबंधक
13. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा निराधनू जरिये शाखा प्रबंधक
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

— प्रतिवादीगण—

दावा बाबत घोषणार्थ

विद्वान अधिवक्ता वादी — मोहम्मद रशीद खान
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी — ममता वर्मा

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.07.2024

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शिवदयालपुरा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 के वर्तमान खसरा नम्बर 179/109 रकबा 0.200 हैक्टर, खसरा नम्बर 180/109 रकबा 7.750 हैक्टर, खसरा नम्बर 190/178 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 191/178 रकबा 0.120 हैक्टर, खसरा नम्बर 192/178 रकबा 2.24 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 11.27 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके

गत खसरा नम्बर 72 रकबा 44 बीघा 11 विश्वा भूमि है। वाद में वर्णित भूमि पहले पोकरराम काश्त करता था तथा पोकरराम के फौत होने पर उसके दो पुत्र बेगाराम व नारायणराम
काश्त करते थे। संतव 2012 में जब राजस्व रिकार्ड कायम किया गया उस वक्त बेगाराम व नारायणराम वाद में वर्णित भूमि को काश्त करते थे। उस समय नारायणराम छोटा था तथा बेगाराम बडा भाई होने तथा कर्ता खानदान होने की वजह से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बेगाराम का नाम दर्ज हो गया लेकिन उक्त भूमि पर दोनो भाई संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते रहे है कब्जा काश्त बाबत कभी कोई विवाद नहीं हुआ। वाद मे वर्णित भूमि में बेगाराम का 1/2 हिस्सा तथा नारायणराम का 1/2 हिस्सा भूमि रही है। बेगाराम के फोत होने पर उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान पांच पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 तथा भागीरथ काबिज काश्त हुये। बेगाराम का पुत्र भागीरथ का स्वर्गवास हो चुका है भागीरथ के 1/10 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान-प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 10 काबिज काश्त हुये। इस प्रकार बेगाराम के 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं।

इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर नारायणराम अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा है। उक्त नारायणराम के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्सा भूमि पर उसके वारिसान वादीगण संयुक्त रूप से मौके पर भौतिक रूप काबिज काश्त है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर कृषि लोन हेतु दिनांक 01/08/2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु पटवारी से मिला तो पटवारी ने राजस्व रिकार्ड में वादीगण व उसके पिता का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी जिस पर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई। दिनांक 4/08/2023 को नकल प्राप्त होने पर वादीगण को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। मौके पर कब्जा काश्त संबंधि कोई विवाद नही है। अन्त में वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद में वर्णित भूमि ग्राम शिवदयालपुरा तहसील बिसाऊ की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 के वर्तमान खसरा नम्बर 179/109, खसरा नम्बर 180/109, खसरा नम्बर 190/178, खसरा नम्बर 191/178, खसरा नम्बर 192/178 कुल किता 5 कुल रकबा 11.27 हैक्टर भूमि में वादीगण को उनके 1/2 हिस्से भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से एडवोकेट ममता वर्मा ने जवाब दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। प्रतिवादी संख्या 12 ने जवाब दावा पेश कर प्रकरण में किसी भी प्रकार की विपरीत अग्रिम कार्यवाही से पूर्व बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा का ऋणी द्वारा पूर्णतया निर्वहन/बंद किया जाना एवं बैंक हित सुरक्षित रखने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 11, 13 की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात भी किसी प्रकार का कोई आपत्ति एतराज प्राप्त नहीं हुआ ना ही कोई उपस्थित हुआ। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 11 व 13 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान के नियेदन पर बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं वाद वादीगण स्वीकार

फरमाया जाकर वादीगण को नारायणराम के वारिसान की हैसियत से उनकी पैतृक भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमानें का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक सिद्वि वाद डिकी किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई एतराज नहीं होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में नारायणराम के वारिसान की हैसियत से उसके 1/2 हिस्सा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। समस्त तथ्यों एवं प्रतिवादीगण की सहमती पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवदयालपुरा तहसील बिसाऊ की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 के वर्तमान खसरा नम्बर 179/109, खसरा नम्बर 180/109, खसरा नम्बर 190/178, खसरा नम्बर 191/178, खसरा नम्बर 192/178 कुल किता 5 कुल रकबा 11.27 हैक्टर भूमि में वादीगण को नारायणराम के वारिसान की हैसियत से उनके 1/2 हिस्सा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि बैंक से रहनमुक्त होने अथवा बैंक से अनापत्ति प्राप्त करने पर ही यह निर्णय प्रभावी होगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर